



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक :/प0गो0/2015

दिनांक : 13-02-2015

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13/02/2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो0 एच0एस0 शुक्ला, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4. प्रो0 एम0सी0 गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5. डॉ0 महेश्वर सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6. डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
7. डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र, सेंट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	सदस्य
8. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
9. डॉ0 राजेश मिश्र, अध्यक्ष, महाविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
10. श्री अखिलेश कुमार पाल, परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :-



1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 एवं 22.01.2015 की सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 एवं 22.01.2015 की सम्पुष्टि की।
2. सत्र 2014—15 वार्षिक परीक्षा की समय सारिणी पर विचार।
यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 के बिन्दु 1 पर रखा गया था, जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि समय सारिणी को सभी संकायाध्यक्षों को उपलब्ध करा दिया जाय एवं उनके सुझाव आने पर इस प्रकरण को परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राष्ट्र गौरव की परीक्षा 03 मार्च 2015 को करा लिया जाय एवं वार्षिक परीक्षा 10 मार्च 2015 से प्रारम्भ करा दिया जाय एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी डाउनलोड करा दिया जाय।
3. स्नातक तृतीय वर्ष (बी0ए0 भाग तीन एवं बी0एस—सी0 भाग तीन) में स्नातक द्वितीय वर्ष के तीन विषयों में से एक विषय छूट जाता है। छोड़े हुए विषय को विद्यार्थी अगले वर्षों में पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी यह अन्तराल तीन वर्ष से अधिक हो जाता है। इस अन्तराल समय सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को अगली बैठक में विचार हेतु रखा जाय।
4. तेरह अंकों के अनुक्रमांक आवंटन पर विचार।
यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 के अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु 3 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 13 (तेरह) अंकों का अनुक्रमांक आवंटित करा दिया जाय।
5. एम0एड0 एवं परास्नातक कक्षाओं की अप्रायोगिक समस्त मौखिकी विश्वविद्यालय एवं नोडल केन्द्रों पर कराने पर विचार।
यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 के अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु 4 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
6. कुमारी शबनम, बी0ए0 भाग तीन वर्ष 1994 अनु0 111250 जब्बाद अली शाह इमामबाड़ा पी0जी0 कालेज, गोरखपुर का सारणीयन पंजिका में अनु0 111250 पर शहला तबरसुम पुत्री नियामतुल्लाह तथा अनु0 111251 शहला तबरसुम पुत्री अली आंसर अंकित है। का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक

7. राजेश कुमार गुप्त पुत्र श्री रामलाल गुप्त बी0एस-सी0 भाग तीन अनु0 59363 बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर उपाधि निर्गत करने का प्रकरण समिति की बैठक दिनांक 30.09.2014 के बिन्दु 15 पर रखा गया था। जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि विस्तृत विवरण के साथ समिति की अगली बैठक में रखा जाय। सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।
- नोट :- बी0एस-सी0 भाग एक अनु0 26062 वर्ष 1991 प्राप्तांक 229/600, बी0एस-सी0 भाग दो अनु0 74992 प्राप्तांक 236/600 वर्ष 1992, बी0एस-सी0 भाग तीन अनु0 59363 वर्ष 1993 प्राप्तांक परीक्षा सामान्य विभाग की आख्या है कि छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। परन्तु जिस सारणीयन पंजिका पर छात्र का नाम एवं अनु0 तथा विवरण है वह पन्ना अभिलेख कक्ष में नहीं है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र प्रेषित किया गया था प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा सूचित किया है कि सम्बन्धित छात्र के विवरण का पन्ना महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में नहीं है।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगले वर्षों के सारणीयन पंजिकाओं को जांच कर लिया जाय कि अभ्यर्थी अंकसुधार अथवा बैकपेपर में तो नहीं बैठा है तथा अंकतालिकाओं की मूल प्रति मंगाया जाय।
8. कुमारी रीता बी0एस-सी0 भाग दो अनु0 35273 वर्ष 1995 अंक सुधार का बढ़ा हुआ अंक बी0एस-सी0 भाग तीन में अंकित कर अंकतालिका निर्गत करने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.09.2014 के बिन्दु 16 पर रखा गया था। समिति ने इस प्रकरण को अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया। उक्त सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी का बढ़ा हुआ सारणीयन पंजिका में संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।
9. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.09.2014 के बिन्दु 10 पर अरुंधती पाण्डेय का प्रकरण रखा गया था। समिति ने सर्व सम्मत से निर्णय लिया था कि बी0ए0 भाग एक, भाग दो, भाग तीन के चार्ट को कालेज से मंगाया जाय और कालेज के द्वारा निर्गत अंक पत्रों को सत्यापित कराया जाय। सत्यापित होने के बाद प्राचार्य से विस्तृत आख्या मांगी जाय। कालेज के सारणीयन पंजिका की प्रति प्राप्त हो गयी है। प्राप्त सारणीयन पंजिका की प्रति पर विचार।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
10. एम0ए0 अंतिम वर्ष समाजशास्त्र, प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद की छात्रा सरिता मौर्गा अनुक्रमांक 6184170012 वर्ष 2013 एवं हरेश्याम सिंह अनुक्रमांक 7081300152 वर्ष 2014 की मौखिकी परीक्षा में अनुपस्थित है। प्रपत्र पी-7 में छात्रा के हस्ताक्षर अंकित हैं परन्तु प्रतिपण में अंक नहीं हैं, के संदर्भ में प्राचार्य द्वारा छात्रा के अंक की मांग की गयी है। अंक पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पी-7 की मूल प्रति मंगाया जाय और केन्द्राध्यक्ष तथा प्राचार्य द्वारा प्रमाणपत्र मूल भी उपलब्ध कराया जाय।
11. प्राचार्य/प्रबंधक ऊँ श्री साईं कृपा महाविद्यालय कुंडौली, लार, देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 18.01.2015 के द्वारा बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष 2014 का परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण छात्र परीक्षा फार्म भरने से वंचित हो रहे हैं। अनुक्रमांक 7071770001 से अनुक्रमांक 7071770003 तक मात्र तीन छात्र हैं। रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र का अंक न मिलने के कारण परीक्षाफल पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अंक न मिलने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष-2014 के छात्रों अनुक्रमांक-7071770001 से अनु0 7071770003 तक को औसत अंक दे दिया जाय।
12. कलावती देवी पत्नी श्री राधेश्याम यादव बी0एड0 अनु0 8484 वर्ष 1983 अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़ के विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका में W अंकित है। जबकि महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में W अंकित नहीं है, के उपाधि निर्गत करने पर विचार।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल अंकतालिका का परीक्षण करा लिया जाय।
13. याचिका संख्या 4826/2015 जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज, महाराजगंज एवं उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 के संदर्भ में 453 छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म स्वीकार करने पर विचार।
- निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण का जांच कर लिया जाय और समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
14. कुमारी सुनीता यादव पुत्री महातम यादव बी0ए0 भाग तीन अनु0 3115080813 वर्ष 2010 भूतपूर्व छात्रा के रूप में परीक्षा में सम्मिलित है। चार्ट में इनके अनु0 के सामने सुधा कुमारी गुप्ता पुत्री भगवान प्रसाद गुप्ता प्रिन्ट है। जबकि अनु0 3115080813 एवं अनु0 3115080814 दोनों अनु0 पर सुधा कुमारी गुप्ता पुत्री भगवान प्रसाद गुप्ता

उत्तराखण्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तमकुहाराड सवरहा, कुशासनगर क पत्र दिनांक 05.10.2014 पर 1444।
निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नाम का संशोधन करा दिया जाय।



अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—

1. दशरथ पाण्डेय, पुत्र—श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, बी0ए0 भाग तीन, वर्ष—2011 व्यक्तिगत चयनित विषय—हिन्दी, प्राचीन इतिहास, केन्द्र—उमा माहेश्वर महाविद्यालय, भोगीपुर, संत कबीर नगर का नाम, विषय, अनुक्रमांक सारणीयन पंजिका में अंकित न होने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है। छात्र का विवरण नाम, विषय, अनुक्रमांक सारणीयन पंजिका में अंकित करने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक—22/01/15 के बिन्दु 10 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि पी-7 की मूल प्रति मंगाया जाय। पी-7 की मूल प्रति प्राप्त हो गयी है प्राप्त मूल पी-7 पर विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्र का नाम, विषय, अनु0 सारणीयन पंजिका में अंकित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।
2. अभिषेक कुमार, पुत्र—अच्छेलाल, बी0ए0 भाग तीन, अनु0-4117280397, वर्ष—2011 एवं परमारथ पुत्र—श्री रामसुख बी0ए0 भाग तीन अनु0-4117280398 वर्ष—2011, व्यक्तिगत छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हैं महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा है तथा पी-7 पर उपस्थिति अंकित है, नामिनल रोल में भी नाम, अनुक्रमांक, विषय अंकित है किन्तु सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक, नाम, विषय अंकित न होने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक—22/01/15 के बिन्दु 13 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि पी-7 की मूल प्रति मंगाया जाय। पी-7 की मूल प्रति प्राप्त हो गयी है प्राप्त मूल पी-7 पर विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्र का नाम, विषय, अनु0 सारणीयन पंजिका में अंकित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।
3. सुरेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र—दयाशंकर पाण्डेय, बी0एड0 वर्ष—2005—06, सेंट एण्ड्रयूज कालेज गोरखपुर का नाम काउंसिलिंग सूची में नहीं है महाविद्यालय द्वारा 100 से अधिक प्रवेश लेने के कारण उपाधि पर रोक लगा दी गयी है। जो कार्यालय की आख्या है। उपाधि निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
4. वर्ष—2005—06 के बी0एड0 उपाधि देने के सम्बन्ध में दिनांक—04/12/14 के क्रम में प्रवेश समिति एवं परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में काउंसिलिंग से प्रवेशित छात्रों को ही उपाधि एवं उनका सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है, कुलसचिव महोदय द्वारा काउंसिलिंग के प्रवेशित छात्रों की जो सूची प्राप्त हुयी है उन छात्रों को उपाधि निर्गत करने एवं उनका सत्यापन करने पर विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
5. INC एवं W होने के कारण परीक्षा फार्म न भर पाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण अथवा W है उन अभ्यर्थियों से दि0 23/02/15 तक प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षा परिणाम पूर्ण कर अंकतालिका के निर्गत तिथि के दृष्टिगत मैनुअल परीक्षा फार्म भरा लिया जाय समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 25/01/2015 समाप्त होने के उपरान्त जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा फल पूर्ण हुआ है उन अभ्यर्थियों का भी मैनुअल परीक्षा फार्म दिनांक—23/02/15 तक भरवा लिया जाय।


परीक्षा नियंत्रक

13.2.15

प्रतिलिपि— निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त सम्मानित सदस्य गण।
2. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वै0स0 कुलसचिव।
4. उप कुलसचिव, परीक्षा।


परीक्षा नियंत्रक

13.2.15